राजस्थान सरकार

निदेशालय विशेष योग्यजन

जी 3/1 ए, विशेष योग्यजन भवन, राजमहल होट्ल के पीछे, जयपुर

क्रमांक एफ 11( ) ( ) वि.यो./वि.वि/2020/ 5426 दिनांकः 28/7/2020

सूचना

जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि निदेशालय विशेष योग्यजन द्वारा विशेष योग्यजनों के कल्याणार्थ संचालित निम्नलिखित योजनाओ की आवेदन की प्रक्रिया को 01 जुलाई, 2020 से ऑन लाईन किया गया है :-

1. विशेष योग्यजन सुखद दाम्पत्य जीवन योजना।
2. विशेष योग्यजन अनुप्रति योजना
3. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना

अतः उपरोक्त सभी योजनाओं में आवेदन ई-मित्र अथवा स्वयं आवेदक की एस. एस.ओ. आई.डी. के माध्यम से किया जा सकता है।

विभागीय योजनाओ एवं आवेदन की ऑन लाईन प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित प्रकार से सूचना ली जा सकती है :-

1. विशेष योग्यजन के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं की विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट www.dsap.rajasthan.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।
2. जिला स्तर पर जिलाधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक सामाजिक सुरक्षाधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
3. समस्त जिलाधिकारी एवं ब्लॉक सामाजिक सुरक्षाधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के दूरभाष नम्बर विभागीय वेबसाईट www.sje.rajasthan.gov.in से प्राप्त किये जा सकते है।

आज्ञा से

28/7/2020

(गजानन्द शर्मा)

आयुक्त

एवं विशिष्ठ शासन सचिव

क्रमांक एफ 11( ) ( ) वि.यो./वि.वि/2020/

दिनांकः

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. समस्त जिला कलक्टर राजस्थान।
2. समस्त जिलाधिकारी/ब्लॉक सामाजिक सुरक्षाधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान को भेजकर लेख है कि ऑन लाईन की गई योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करें एवं सूचना निदेशालय विशेष योग्यजन को भेजना सुनिश्चित करें।
3. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक